न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 85/2020

1. भगवती पत्नि बलजीत सिंह कौम गुर्जर निवासी बरखेडा तहसील पहाडी
2. रेखा अग्रवाल पत्नि जगदीश प्रसाद कौम वैश्य निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी ।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर) अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी जिला भरतपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :— श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रार्थीगण

दिनांक :— 24.09.2020

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 190/0.40, 168/0.43, 169/0.03, 189/0.04, बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी खसरा नं0 190/0.40, प्रार्थी संख्या 1 एवं खसरा नम्बर 168/0.43, 169/0.04, 189/0.04 प्रार्थी संख्या 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है आराजी खसरा नम्बर 170/0.31 गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 171/0.02, गैर मुमकिन खार, खसरा नम्बर 187/0.06, 188/0.09, गैरमुमकिन रास्ता है। प्रार्थीगण अपनी आराजी काश्त करने व देखभाल करने के लिये जाने वाला रास्ता नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 170, 171, 188, 187, में से होकर गुजरता है। जो कि गोपालगढ नगर रोड खसरा नम्बर 186 पर जाकर जुड जाता है। प्रार्थीगण काफी वर्षो से उक्त रास्ते का ही प्रयोग करते चले आ रहे है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण को उसकी आराजी पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उपयोग में लिये जाने वाला

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता 30 फीट चौडा व 60 फीट लम्बा है। प्रार्थीगण नजरी नक्शानुसार 30 फीट चौडा व 60 फीट लम्बा रास्ता लेना चाहते है। प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत रास्ता लेना चाहते है। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार पहाडी के समक्ष पेश किया था लेकिन तहसीलदार पहाडी ने रास्ता सरकार के प्रतिनिधी होने की हैसियत से साफ इन्कार कर दिया। इस कारण प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को आराजी खसरा नम्बर 170, 171, 188, 187, में से 30 फीट चौडा एवं 60 फीट लम्बा रास्ता प्रार्थीगण को उनकी आराजी पर आने जाने हेतु एवं आराजी की देखभाल व काश्त करने हेतु दिया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी ने उपस्थित न्यायालय होकर जबाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण अपनी आराजी की काश्त करने व देखभाल करने के लिये जाने वाला रास्ता खसरा नम्बर 170, 171, 187, 188, से होकर निकलता हैं जो कि गोपालगढ नगर रोड खसरा नम्बर 186 पर जाकर जुड जाता है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को कीमतन रास्ता प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है।

बहस में वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया । विवादित आराजी खसरा नं0 190/0.40, 168/0.43, 169/0.03, 189/0.04, बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी खसरा नं0 190/0.40, प्रार्थी संख्या 1 एवं खसरा नम्बर 168/0.43, 169/0.04, 189/0.04 प्रार्थी संख्या 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है जिस पर प्रार्थीगण काफी समय से शान्ती पूर्ण तरीके काश्त करते चले आ रहे है प्रार्थीगण अपनी आराजी काश्त करने व देखभाल करने के लिये जाने वाला रास्ता नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 170, 171, 188, 187, में से होकर गुजरता है। जो कि गोपालगढ नगर रोड खसरा नम्बर 186 पर जाकर जुड जाता है। प्रार्थीगण काफी वर्षो से उक्त रास्ते का ही प्रयोग करते चले आ रहे है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण को उसकी आराजी पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उपयोग में लिये जाने वाला रास्ता 30 फीट चौडा व 60 फीट लम्बा है। प्रार्थीगण नजरी नक्शानुसार 30 फीट चौडा व 60 फीट लम्बा रास्ता लेना चाहते है। अप्रार्थी तहसीलदार पहाडी ने अपने जबाब में उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता आराजी में आने जाने हेतु नहीं दर्शाया है एवं अप्रार्थी तहसीलदार पहाडी ने प्रार्थीगण को कीमतन रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अतः प्रार्थीगण को उसकी आराजी में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 170, 171, 188, 187 में से 30 फीट चौडा एवं 60 फीट लम्बा रास्ता कीमतन दिये जाने के आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं तहसीलदार पहाडी द्वारा प्रस्तुत जबाब का भी अवलोकन किया । तहसीलदार पहाडी द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने जाने एवं काश्त देखभाल हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना एवं प्रार्थीगण को कीमतन रास्ता प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 190/0.40, 168/0.43, 169/0.03, 189/0.04, बांके ग्राम माधोगढ के आवागमन हेतु अप्रार्थी तहसीलदार पहाडी की आराजी 170/0.31, 171/0.02, 187/0.06, 188/0.09 में से 30 फीट चौडा एवं 60 फीट लम्बा रास्ता दिये जाने आदेश प्रदान किये जाते है। साथ ही प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे तहसीलदार पहाडी से सम्पर्क कर दिये गये रास्ते के सम्बन्ध में कृषि डीएलसी रेट की दो गुनी राशि राजकोष में जमा करावें। तहसीलदार पहाडी प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा कराने पर ही आदेश की पालना करें एवं प्रार्थीगण को दिया गया रास्ता सार्वजनिक रहेगा। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)